

उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वस्तु फावली बंद हो नियत दिनांक 23.4.21 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जारी अस्वार्थनिवेदन बंद हो जाते हैं। (क)

3-4-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बाधकार रखने से पत्रावली दिनांक 7.2.21 को पेश हो। एवं का फाइल अभावत रखा।

7/5/21

उभय पक्ष पत्रावली पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 11.6.21 को पेश हो। एवं का फाइल अभावत रखा।
सीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

11/6/21

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बाधकार रखने से पत्रावली दिनांक 17.2.21 को पेश हो। एवं का फाइल अभावत रखा।

25/10/21

पत्रावली केस 21.2.19.107.44 को पेश हुई। आगामी दिनांक 17.6.21 को पेश हो। एवं का फाइल अभावत रखा।

25-2-22

उभय पक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 17.6.21 को पेश हो। एवं का फाइल अभावत रखा।
सीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

17-6-22

पत्रावली पेश हुई, वकील प्राणीगण अनुपस्थित, वकील प्राणीगण को कितनी बार कलकल कर धावाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, वकील प्राणीगण के अनुपस्थित रहने से छावना पत्र अदम हाजरी/अदम पत्रों से खारीज किया जाता है पत्रावली फाइल सुमार होकर मूल वापस के साथ सलंगन हो।

(क)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा